

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

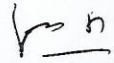
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एल-89 /94आर) (लिंक नं. 8913) / अलेसे-11/482 दिनांक :- 21.8.19

कार्यालय आदेश

श्री ललित कुमार संगतानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (लिंक नं. 8913) कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोटा क्षेत्र, कोटा के विरुद्ध नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने के कारण विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित होने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

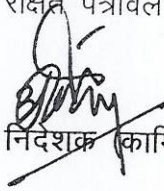
श्री ललित कुमार संगतानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। निलम्बन काल में श्री संगतानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 का मुख्यालय कोषालय कोटा रहेगा तथा वे नियमित रूप से मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति अंकित करेंगे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एल-89 /94आर) (लिंक नं. 8913) / अलेसे-11/482 दिनांक :- 21.8.19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोटा क्षेत्र, कोटा।
2. कोषाधिकारी, कोटा।
3. श्री ललित कुमार संगतानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोटा क्षेत्र, कोटा।
4. वरिष्ठ निजी सहायक-निदेशक महोदय।
5. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने / पी.आई.एस इन्द्राज हेतु।
6. निजी पत्रावली / पदस्थापन सीट / गोपनीय शाखा / जांच शाखा / रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)